आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 144 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, स्पेशल ऑपरेशन विभाग, चतुर्थ मंजिल, टाईम स्क्वायर, विद्याधर नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स हितेशी एंटरप्राईजेज,
   पता: बी–68, चाणक्य पैलेस, माता चानन देवी हॉस्पिटल के सामने, नई दिल्ली
   एवं तृतीय मंजिल, वर्धमान टॉवर, द्वारका, सेक्टर–7,नई दिल्ली।
2. सुश्री हितेशी प्रकाशर, प्रोपराईटर मैसर्स हितेशी एंटरप्राईजेज,
   पता: बी–4 / 311 सी, केशवपुरम, ओंकार नगर, नई दिल्ली
   एवं क्यूपी–76, तृतीय मंजिल, पीतमपुरा, नई दिल्ली।
3. सुश्री तेजस्वी प्रकाश,
   पता: बी–4 / 311 सी, केशवपुरम, ओंकार नगर, नई दिल्ली
   एवं 187–ए, प्रथम मंजिल, कोहाट एनक्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली।
4. श्री चन्द्र प्रकाश,
   पता: बी–4 / 311 सी, केशवपुरम, ओंकार नगर, नई दिल्ली।
5. सुश्री अनिता यादव,
   पता: सी–56, डीडीए फ्लेट्स, गोल्फ व्यू अपार्टमेन्ट, साकेत नई दिल्ली
   एवं फ्लेट नं. 150–ए, प्रथम तल, रचना 3–ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (ग्रामीण)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री नवीन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.11.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुश्री हितेशी प्रकाशर के स्वामित्व की सम्पत्ति 1. प्लॉट नं. 60–ए, ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ दादिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 366.66 वर्गमीटर एवं 2. व्यवसायिक भूखण्ड संख्या एस–18, ग्राम झाई, ब्लॉक बी, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 07,91,22,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,91,22,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 12,88,50,436.70/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.03.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुश्री हितेशी प्रकाशर के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति 1. प्लॉट नं. 60–ए, ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ दादिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 366.66 वर्गमीटर एवं 2. व्यवसायिक भूखण्ड संख्या एस–18, ग्राम झाई, ब्लॉक बी, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (ग्रामीण)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner